

# प्रमाणित प्रतिया न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, हरदा

आवेदन संख्या 18/182/08-09

आवेदनकर्ता का नाम

आवेदनकर्ता का नाम

आवेदनकर्ता का नाम

आवेदनकर्ता का नाम

आवेदनकर्ता का नाम

आदेश

(पारित दिनांक 13/11/09)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदनकर्ता द्वारा न्यायालय में एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार वह भूमिसूचामी खसरा नम्बर 2182 क्षेत्रफल 0.221 हेक्टेयर का भूमिसूचामी है तथा उक्त भूमि का उपयोग आवेदनकर्ता आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन में करना चाहता है अतः व्यपत्तर्तन चाहता है।

2. प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ईशतहाज जारी किया। ईशतहाज की निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई।

3. आवेदनकर्ता के कथन अंकित हैं। राजस्व निरीक्षक डायवर्सन हरदा से प्रतिवेदन प्राप्त किया।

4. प्रकरण का अवलोकन किया। स. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(2) के अंतर्गत निम्नानुसार शर्तों पर आवेदनकर्ता की भूमि खसरा नं. 2182 क्षेत्रफल 0.221 हेक्टेयर का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल 0.221 हेक्टेयर पर डायवर्सन लगान 2607-00 रूपया प्रतिवर्ष तथा एक मुश्त भौगियम रु. 18500-00 का निर्धारण किया जाता है।

1. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करने से पूर्व विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करना होगा।

2. आवेदनकर्ता स्वीकृति उपरांत 5 फीट रिक्त छोड़कर निर्माण करेगा तथा रिक्त छोड़ी गई भूमि पर स्थापित आवेदनकर्ता का हो होगा।

3. आवेदनकर्ता यदि उक्त भूमि कालोनी निर्माण करना चाहता है तो नियमानुसार कालोनी का पंजीयन, लापरस, नक्शा अनुमोदन, आंतरिक बाह्य विकास की अनुमति प्राप्त करेगा।

4. यदि आदेश राजस्व कार्य 18500-00 से प्रभावशील होगा।

उक्त प्रस्तावित भूमि का कृषि लगान रु. 0-00-00 है। आवेदनकर्ता सूचित हो। राजस्व निरीक्षक डायवर्सन, पटवारी एवं वासिल बादी नगीरा आदेश दीप कर पालना करें। आवेदनकर्ता से उपरोक्तानुसार राशि की वसूली की जाए।

आवेदन पर 09 माघ 19

TRUE-COPY

Tahsildar, HARDA

आवेदनकर्ता का नाम

प्रमाणित प्रतिलिपि - न्यायालय उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष महोदय  
 दिनांक 42/9/2003 का आदेश जहाँ जहाँ के पारित आदेश  
 दिनांक 31/3/03 को मिला

चयन सामिका

रा. प्र.क्र. 42/9/ वर्ष 2003

आदेश :-

दिनांक 31/03/03 को पारित

प्रकरण आज प्रस्तुत । संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक परिवर्तित  
 भूमि हरदा से जौन उपरगत प्रकरण प्राप्त आवेदक वेदाहन सिद्धांत फीनि वेदाहन अदालत जौन  
 द्वारा अपनी भूमि स्वामी स्वयं को भूमि स्थित जौन हरदा खास के खसरा नंबर  
 2/56 रकबा 0.25 है. है 92500 वर्गफीट का स्वयं के निवास  
 प्रयोजन हेतु अपवर्तन एवं निर्माण चाहते हैं ।

अतः प्रकरण का अवलोकन किया समिति भूमि हरदा के प्रतिवेदन से सहमत होने  
 हुए आवेदक की उपरोक्त वर्णित भूमि नंबर 2/56 रकबा 0.25 है 92500  
 वर्गफीट पर अपवर्तन लगाने रूपरेखा प्रीमियम 2612-00 का म. प्र. स. स.  
 1959 की धारा 172(2) के अंतर्गत अपवर्तन एवं संहिता की धारा 59 के अंतर्गत लगान का निर्धारण निम्न बातों  
 पर किया जाता है ।

- 1- प्रश्नाधीन भूमि पर कोई भी निर्माण करने के पूर्व विधित्त अनुशा इस न्यायालय/याम पचाथा से  
 प्राप्ता करना होगा तथा स्वयं की भूमि में से 5 कीट भूमि रिकॉर्ड धोड़ना होगा ।
- 2- आवेदक बगैर स्वीकृति के अपनी उपरोक्त वर्णित अपवर्तित भूमि को छोटे-छोटे आवासीय मकान  
 बनाकर विक्रय नहीं करेगा ।
- 3- आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को आवासीय प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग एवं  
 उपयोग नहीं लायेगा ।
- 4- यह आदेश राजस्व वर्ष 2002-2003 से प्रभावी रहेंगा ।

उक्त प्रश्नाधीन भूमि का 0.25 रूपरेखा कृषि लगान कम किया जाता है । आवेदक  
 सूचित हो समिति/धरि/घट/वा.प.स. आदेश टीम कर भालन करे आवेदक से वसुली की जाये । पालन  
 उपरगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दा.द. हो ।

न्यायाधीश अधिकारी  
 हरदा (म. प्र.)

TRUE COPY

Yashpal, Haridwar

997/06

Tensile strength